

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

प्रकरण सं० 161/19

वर्ष 2019

राजस्थान सरकार बनाम द. रजि. सि. ह. 10 अखतार सि. ह. जाति जाट सिख साठ बेली चिया

प्रस्तुतिकरण दिनांक 27/9/19

निर्णय दिनांक 11/10/19

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
11-10-19	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2076 में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 12 BLM(A) का प्रतिवेदन दिनांक 27/9/19 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी द. रजि. सि. ह. पुत्र अखतार सि. ह. जाति जाट सिख निवासी विली चिया को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 12 BLM(A) मु. नं. 221/4/19 कुल 10379 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 10 गुणा राशि 110 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 12 BLM(A) को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलायम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 11/10/19 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर</p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 04 की क्रम सं. 06 दिनांक 24-10-19 को 110 - दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;">ता0रा0ले0</p>	

Form No. III
फॉर्म अहकाम
 (नियम 26)

तहसीलदार (राजस्थान)
 श्रीविजयनगर

आज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्थान श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
 सरकार बनाम केशनि सिंह सोहनार सिंह जाति जाट सिव सा. बिली चिया
 किस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 161 सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इतिशयंत्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
27/9/19	<p>पटवारी हल्का <u>12 BLM (A)</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>12 BLM (A)</u> के मुरब्बा नं. <u>221</u> के <u>10379</u> बीघा, भूमि रकबा राज है जिस पर श्री <u>केशनि सिंह</u> पुत्र श्री <u>सोहनार सिंह</u> जाति <u>जाट सिव</u> सा. <u>बिली चिया</u> ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2076</u> फसल <u>खरीफ</u> नाजायज काशत कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>11/10/19</u> को पेश है।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

04/12/19

पत्रावली पेश हुई! I LR 12 B L 14 A द्वारा
 फर्द निलामी उद्घाटन की गई फर्द निलामी में
 एनर्जिक बोलीदाता सोहन गोल 51-गणेश राम
 पाट साठ बिलेचिया भी 600/- रुपये की थी
 उक्त निलामी हवीना की गई I LR द्वारा निलामी
 राशि करिये चालान संख्या 280 दिनांक 03/12/19
 द्वारा राजकोष में जमा कक्षा से गई थी जो शामिल
 पत्रावली की जावे! व मांग दर्ज लेखा भी जावे!
 पत्रावली टुकका द्वारा अधिकारी को बेदाबल कर
 कठना बढ़क लपका जात कर लिमा गमा थी
 व तावांत राशि व कुल कर ली गई है पत्रावली में
 शेष कार्यावाही अपेक्षित नहीं है अतः पत्रावली के लवा
 सुमाट होकर कारिवर इफतल है।

घ रजिस्टर की पृष्ठ सं. 04... क्र.सं. 13...
 दिनांक 04/12/19 राशि 600 दर्ज किया।



2019
 निसाना
 तैबा में
 अमानत तहसीलदार महोदय,
 राजस्व तहसील, श्रीविक्रम
 निवेदन है
 काश्त कि